मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-5

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

मंगलवार, दिनांक 15 फरवरी, 2005 (माघ 26, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 11 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। द्वितीय चक्र में किसी भी प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 58 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 55 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने दतिया जिले में प्रशासनिक अधिकारी एवं पूंजीपतियों की सांठगांठ से नगर मेंअवैध कालोनियों का निर्माण होने,

(2) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने प्रदेश के आयुर्वेद चिकित्सकों के पद न भरे जाने,

(3) श्री इंद्रजीत कुमार, सदस्य ने जिला सीधी में पशुपालन विभाग के प्रयोगशाला में सहायक को निर्देशानुसार वेतन न दिये जाने,

(4) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य ने श्योपुर विधानसभा के अन्तर्गत आदिवासी बाहुल्य तहसील लकरहाल मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों के रिक्त पद भरे जाने,

(5) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य ने सीहोर जिला मुख्यालय पर अम्बेडकर बाल्मिकी आवास योजना के तहत गरीबों के लिये आवास न बनाये जाने, तथा

(6) डॉ. सुनीलम्, सदस्य ने बैतूल जिले के नगर पालिका नगर पंचायत क्षेत्रों में राजस्व विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

3. ध्यानाकर्षण

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, सदस्य ने ग्वालियर जिले की डबरा चीनी मिल क्षेत्र में अवैध पावर क्रेशर चलने से उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री दरबू सिंह उइके, सदस्य की सदन से अनुपस्थिति के कारण "बालाघाट जिले में लघु वनोपज तेंदुपत्ता सहकारी समिति, बोदा द्वारा संग्राहकों के प्रकरणों में अनियमितता किये जाने" संबंधी ध्यानाकर्षण की सूचना प्रस्तुत नहीं हो सकी)

4. औचित्य प्रश्न और व्यवस्था

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में गलत जानकारी दी जाना

श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सहकारिता अधिनियम के संबंध में गलत जानकारी दिये जाने संबंधी पूर्व में उठाये गये औचित्य प्रश्न पर आसंदी से व्यवस्था चाही गई।

संसदीय कार्य मंत्री, श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सरकार के द्वारा बनाया गया नीतिगत दस्तावेज होता है और हमारे यहां संसदीय परम्परा है और अनेक उदाहरण हैं साथ ही कौल एण्ड शकधर की पुस्तक के पृष्ठ 204 में भी उल्लेख है कि" यदि राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण किये जाने और उसकी प्रति पटल पर रखे जाने के बाद किसी मंत्रालय को अभिभाषण में कोई त्रुटि दिखाई देती है, तो उसमें सुधार की प्रक्रिया यह है कि संबंधित मंत्रालय राष्ट्रपति का ध्यान उस ओर दिलाता है. जब राष्ट्रपति उस त्रुटि को सुधारने का अनुमोदन कर दे, तो राष्ट्रपति सभा को संदेश भेज सकता है जिसे सीधे अध्यक्ष को सम्बोधित किया जा सकता है या किसी मंत्री के माध्यम से उस तक पहुंचाया जा सकता है तथा जब उसकी घोषणा कर दी जाए और उसे सभा पटल पर रख दिया जाए तो उसे कार्यवाही वृतांत तथा सभा के आधिकारिक अभिलेख में शामिल कर लिया जाता है। उन्होने आगे कहा कि " अध्यक्ष महोदय, यह एक प्रक्रिया है उसके लिए बहुत सारे उदाहरण मेरे पास में हैं। लोकसभा में अनेक बार अभिभाषण पारित हो गया है और पारित होने के बाद, बाद में ध्यान में आने पर इसमें यह त्रुटि हुई है, उसके बाद लोकसभा, विधानसभा सचिवालय से उस त्रुटि को सरकार के निवेदन पर संशोधित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, का पत्र उन्हें मिला है, उसमें कार्यवाही कर रहे हैं यदि इसमें संशोधन की आवश्यकता होगी, तो सरकार उसे राज्यपाल महोदय को प्रेषित करेगीऔर उसके बाद उसको विधानसभा के पटल पर रख देगी।

यदि सरकार से किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई होगी तो उसको हम स्वीकार करेंगे. इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, इसमें संशोधन कर देंगे। यह प्रक्रिया एक बार ही नहीं हुई है, अनेक बार हुई है, श्री मोतीलाल वोरा, श्री कैलाश नाथ काटजू जी के समय भी यह हुआ था।

व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस वस्तुस्थिति से सदन को अवगत कराया गया कि उन्होंने प्रकरण में कार्यवाही की है। नेता प्रतिपक्ष ने शासन की किसी त्रुटि की तरफ उनका ध्यान आकर्षित कराया, मैंने शासन को आपकी बात लिखी, उनका उत्तर आयेगा तो मैं आपको अवगत कराऊंगा।

5. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव और संशोधनों पर चर्चा (क्रमशः)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री इन्द्रजीत कुमार

सभापति महोदय (डॉ. नरोत्तम मिश्रा) पीठासीन हुए.

(2) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(3) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा

(1.02 बजे से 2.33 बजे तक अन्तराल)

सभापति महोदय (डॉ. नरोत्तम मिश्रा) पीठासीन हुए.

(4) श्री निशिथ पटेल

(5) श्री ओमप्रकाश पुरोहित

(6) श्री सत्यदेव कटारे

(7) श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सखलेचा

(8) श्री नानालाल पाटीदार

(9) श्री ताराचंद बाबरिया

(10) श्री शांतिलाल धावई

(चर्चा अपूर्ण)

3.49 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 16 फरवरी, 2005 (माघ 27, 1926) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.